



Neutral Citation No. 2026:AHC:17493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 109/ 2026

रणपत सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को सुना गया।
2. यह रिट याचिका परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि वह उ० प्र० उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 331(1) के तहत दूसरी अपील संख्या 23/20132014 (वासी हैदर और अन्य बनाम रणपत सिंह और अन्य) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय ले।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि निजी प्रत्यर्थी गण द्वारा दायर की गई दूसरी अपील जो विभाजन के मुकदमे से उत्पन्न हुई है और जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार बनाया गया है वर्ष 201314 से ही राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने बताया कि इस दूसरी अपील को अभी तक आज की तारीख तक स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अतः उपर्युक्त दूसरी अपील के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर किया जाए जिसमें संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

27 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"